

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 200/2023  
अनवान : -

1. मदनलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. फूसाराम पुत्र रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. ओम प्रकाश पुत्र रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
3. बादो देवी पत्नी रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. मैना पुत्री रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. पार्वती पुत्री रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. गोमती पुत्री रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7. सन्तरो पुत्री रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
8. किरणा पुत्री रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 15/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 41/37 की कुल 13.5700 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक के 1/30 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वादी के पिता रामजस का स्वर्गवास हो चुका है रामजस के स्वर्गवास के बाद उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के विरासतन दर्ज हो चुकी है। प्रतिवादीया संख्या 3 जो की वादी की माता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।



उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 9 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073-76 रोही मौजा ढाणली लालखां खाता संख्या 41/37 आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के विरासतन दर्ज हुई है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 41/37 की कुल 13.5700 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक के 1/30 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। प्रतिवादीया संख्या 3 ता 8 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

01  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 41/37 की कुल 13.5700 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 200/2023

अनवान : -

1. मदनलाल पुत्र रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

- वादी

### बनाम्

1. फूसाराम पुत्र रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. ओम प्रकाश पुत्र रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
3. बादो देवी पत्नी रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. मैना पुत्री रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. पार्वती पुत्री रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. गोमती पुत्री रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7. सन्तरो पुत्री रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
8. किरणा पुत्री रामजस जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 200 सन 2023 निर्णय दिनांक - 15/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 41/37 की कुल 13.5700 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

al  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर